

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

सं०सं० 05/स्था०- 95/10(खंड)...2398


पटना, दिनांक. 13/06/2013

अधिसूचना

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित पदाधिकारियों को अधिसूचना निर्गत की तिथि से मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा 3 में निहित प्रावधानों के तहत अपने कार्यों के अतिरिक्त करारोपण पदाधिकारी के कार्य सम्पादन हेतु एक वर्ष के लिए शक्ति प्रदत्त की जाती है:-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अतिरिक्त प्रभार का पदनाम एवं जिला
1	2	3
1	श्री सृष्टिराज सिन्हा, वरीय उप समाहर्ता, गोपालगंज	करारोपण पदाधिकारी, समेकित जांच चौकी, चैनपट्टी (बलथरी) गोपालगंज
2	श्री दुष्यन्त कुमार, वरीय उप समाहर्ता, गोपालगंज	करारोपण पदाधिकारी, समेकित जांच चौकी, चैनपट्टी (बलथरी) गोपालगंज


बिहार राज्यपाल के आदेश मे


प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक...2398 पटना, दिनांक...13/06/2013


प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा नि० कोषांग) विभाग, पटना/ प्रमंडलीय आयुक्त, सारण (छपरा)/जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/ जिला परिवहन पदाधिकारी, गोपालगंज/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण (छपरा)/ श्री सृष्टिराज सिन्हा एवं श्री दुष्यन्त कुमार, वरीय उप समाहर्ता, सह करारोपण पदाधिकारी चैनपट्टी (बलथरी) गोपालगंज चेकपोस्ट / मोटरयान निरीक्षक, गोपालगंज एवं चैनपट्टी (बलथरी) गोपालगंज/आई.टी. मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार,पटना/ परिवहन विभाग के सभी पदाधिकारी/कर्मों एवं संबंधित प्रवर्तन तंत्र/प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक...2398 पटना, दिनांक...13/06/2013

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।


प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।